:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 4/21

निर्णय दिनांकः–05.10.2021

1. श्री अमरा पिता मोगा डामोर उम्र वयस्क निवासी ढूंढरीया तहसील चिखली
2. श्री रायसन पिता मोगा डामोर निवासी ढूंढरीया
3. श्री रमण पिता काना डामोर निवासी ढूंढरीया
4. श्री जेशा पिता काना डामोर निवासी ढूंढरीया
5. श्री मशा पिता काना डामोर निवासी ढूंढरीया

वादी

बनाम

1. श्री गेन्दा पुत्र भुरा डामोर जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी ढूंढरीया
2. श्री रमेश पुत्र लाखा डामोर निवासी ढूंढरीया
3. श्रीमति लाली पत्नि भुरा डामोर जाति निवासी ढूंढरीया
4. श्रीमति सीमा पत्नि काना डामोर निवासी ढूंढरीया
5. श्री सोमा पिता भुरा डामोर निवासी ढूंढरीया
6. श्रीमान तहसीलदार साहब चिखली

प्रतिवादीगण

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम</u>**

उपस्थित :– वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण।

## निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण गांव ढूंढरीया तहसील चिखली के स्थायी निवासी है। जो खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहे है। जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

खातरा

⇩ भुरा फोत ⇩ मोगा फोत ⇩ काना फोत ⇩ लखा फोत

भुरा ⇩ गेन्दा, सोमा

मोगा ⇩ रायसन, अमरा

काना ⇩ सीता, रमण, जेशा, मशा

लखा ⇩ रमेश

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा ढूंढरीया में खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 146, 171, 200, 201, 202, 203,205, 207, 210, 213, 214, 237, 637, 638, 639, 643, 644, 654, 655 खेत किता 19 कुल रकबा 11.5526 है0 होकर स्थित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से पारिवारिक बंटवारे अनुसार काबीज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
चिखली, डूंगरपुर

यह कि आज से 15 दिन पूर्व वादीगण अपने पारिवारिक बंटवारे अनुसार हिस्से की मौजा ढूंढरीया में स्थित भूमि पर खेतीबाडी करने साफ सफाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण एकजुट होकर वादग्रस्त आराजी पर आए और जबरन अपनी जमीन बताकर झंगडा फंसाद कर वादीगण को अपने हिस्से में आयी भूमि के अपयोग उपभोग में रूकावट उत्पन्न करने लगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि पारिवारिक बंटवारे में अपने हिस्से में आने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण मना कहकर खातों को अलग नहीं करना कहकर वादीगण से विवाद करने लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कॉलम संख्या 2 अंकित संयुक्त खातों को राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार वादीगण के हिस्से व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसर बंटवारा करने की बात की । जिस पर प्रतिवादीगण ने बंटवारा नहीं करने बात कहकर एतराज करने लगे।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार बंटवारा कर रिकॉर्ड के अनुसार हिस्से को अलग अलग खाता कायम करने की बात की। लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने से मना कर दिया। वादीगण ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण माने। जिससे लगातार विवाद चलता रहा। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेद्याज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक है ि कवे वादीगण को अपनी पारिवारिक बंटवारे में कब्जे काश्त की आराजी मौजा ढूंढरीया में खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 146, 171, 200, 201, 202, 203,205, 207, 210, 213, 214, 237, 637, 638, 639, 643, 644, 654, 655 खेत किता 19 कुल रकबा 11.5526 है0 राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाते में कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत पुनावाडा में दिनांक 05.10.2021 को लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत हुई। समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित होकर आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने पर सहमत हुए इसलिए निषेद्याज्ञा की आवंश्यकता नहीं है। आई.एल.आर डूंगरसारण को निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति बंटवारा तैयार कर तहसीलदार चिखली से निर्णित करावें।

## आदेश

आई.एल.आर डूंगरसारण को निर्देशित किया जाता है कि सहमति बटवारा तैयार कर तहसीलदार चिखली से निर्णित करावें।

श्रीकांत व्यास
उपखंड अधिकारी
चिखली

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को लोक अदालत कैम्प पुनावाडा में सुनाया गया।

श्रीकांत व्यास
उपखंड अधिकारी
चिखली